15 जुलाई,2022 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में विधानमंडलों के कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु अध्यक्ष का भाषण

भारत में विधायी निकायों के माननीय अध्यक्षगण/ सभापतिगण/ पीठासीन अधिकारीगण एवं देवियो और सज्जनो:

- विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियोंकी इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

- मित्रो,17 वीं लोकसभा के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इन तीन वर्षों में लोक सभा ने कार्य निष्पादन, विधेयकों एवं अन्य विषयों पर व्यापक चर्चा संवाद एवं माननीय सांसदों की सदन में भागीदारी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। ऐसा सभी दलों एवं माननीय सांसदों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है।

- लोक सभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते मेरा सदैव प्रयास रहा है कि सभा में सबकी सहमति एवं सबके सहयोग से विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा हो, माननीय सदस्यों को विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले तथा जनहित के विषयों पर पर्याप्त चर्चा हो सके।

- तीन वर्ष की अवधि में सदन ने अधिकतम कार्य निष्पादित किए हैं। अभूतपूर्व विधानों, गहन चर्चाओं, रचनात्मक वाद-विवादों, समितियों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों, संसद को नागरिकों के लिए सुलभ बनाये जाने सहित अन्य कार्यों ने सदन को जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त माध्यम बनाया है और नए भारत के स्वप्न को साकार करने का पथ प्रशस्त किया है।

- माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप सभा की कार्यवाही के संबंध में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। 17वीं लोक सभा के आठवे सत्र तक सभा ने 995.45 घंटे कार्य किया है और 106 प्रतिशत की समग्र उत्पादकता हासिल की है।

- वर्तमान लोक सभा द्वारा अबतक 149 विधेयक पारित किए गए हैं जिसमें माननीय सदस्यों की अभूतपूर्व भागीदारी रही है।

- सभा में वाद-विवाद के स्तर में सुधार करने के गहन प्रयास किए गए हैं। संसद सदस्यों की क्षमता के विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया गया है। इस प्रयोजनार्थ, संसद सदस्यों हेतु संसदीय शोध और सूचना संबंधी सहायता (प्रिज़्म) की स्थापना की गई तथा माननीय सदस्यों को चौबीसों घंटे सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर संदर्भ और विधायी टिप्पण उपलब्ध कराए जाते हैं। संसद ग्रंथालय में संसद सदस्यों के लिए एक विचार-विमर्श कक्ष बनाया गया है।

- सदन के कामकाज में टेक्नॉलजी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। लोक सभा में वाद-विवाद का डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिससे मेटा डाटा प्रणाली से की-वर्ड सर्च किया जा सकेगा। एक विशेष एप के माध्यम से, संसद सदस्यों को 40 भाषाओं में 5000 से अधिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

- पिछले तीन वर्षों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अनावश्यक व्यय को रोकने और प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाने वाली खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस अवधि के दौरान, सचिवालय ने जो नए उपाय और पहल कीं उनसे लोक सभा के कार्यकरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप 668.86 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

- मित्रो, देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सभी स्तरों के बीच प्रभावी चर्चा संवाद के लिए राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ नियमित संवाद किया जा रहा है। हमने संसद सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं सहित राज्य के विधायी निकायों के समग्र क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया है।

- हम लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक भाग में लोकतान्त्रिक विरासत और सिद्धांतों को और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड, मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा लद्दाख एवं जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

- साथियो, मेरा मानना है कि सदन में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- सदन में उनके आचरण का व्यापक प्रभाव होता है। उनके आचरण से जनता में यह संदेश जाता है कि सदन में अनुशासन और गरिमा जनप्रतिनिधियों के व्यवहार का अनिवार्य अंग हैं।

- चर्चाएं, वाद विवाद और कटाक्ष संसदीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि, वाद-विवाद के दौरान आरोप और प्रत्यारोप लगाना एक स्वाभाविक बात है, किंतु, संसद-सदस्यों को अनावश्यक आक्रोश, उत्तेजना, जोर से चिल्लाने और एक-दूसरे को बीच में टोकने तथा अध्यक्षपीठ के प्रति टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। इस विषय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहले भी व्यापक चर्चा हो चुकी है।

- हमें हर समय लोकतान्त्रिक संस्थाओं की पवित्रता, गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए।

- जैसा कि आप सभी जानते हैं, नए संसद भवन के निर्माण का कार्य पूरी तेजी के साथ चल रहा है।

- भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जब यह भवन पूरा होगा तो वह इस आयोजन का सबसे यादगार पल होगा।

- संसद का नया भवन भारत के सभी राज्यों की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को दर्शाते हुए आधुनिक एवं आत्म-निर्भर भारत तथा हमारे समृद्ध इतिहास की झलक दिखाएगा। हमें पूरी आशा है कि यह भवन नए भारत की एक शानदार उपलब्धि के रूप में सामने आएगा और वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने का काम करेगा।

- मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व फिर से यह कहना चाहूंगा कि पीठासीन अधिकारियों के रूप में हमें सदन के प्रक्रिया नियमों के तहत अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिन मामलों के बारे में इन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं होता है और जो प्रश्न नियमों को लागू करने से संबंधित होते हैं, वे भी पीठासीन अधिकारियों के दायरे और अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

- ये सभी बातें विधानमंडलों के सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक विचार-विमर्श को अधिक गंभीर बनाने में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं।

- मेरा विश्वास है किआपके सहयोग से हम एक नए और रेज़ीलिएंट भारत की नीव रख पाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किए गए वादों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे।

- मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम एक नए और रेज़ीलिएंट भारत की नीव रख पाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किए गए वादों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे।